निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 81 / 2021 तारीख दायरा 06.07.2021

उनवान

1. प्रेमनारायण श्री भैरूलाल जाति खटीक निवासी 1 सी 66, महावीर नगर, विस्तार योजना कोटा।
2. अमित कुमार चौपदार श्री भरोसीलाल जाति चौपदार निवासी प्रेमनगर, शाहाबाद रोड, बारां जिला बारां। — वादीगण

बनाम

1. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सांगोद जरिये व्यवस्थापक।
2. राजस्थान सरकार जरिये लेंड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सांगोद। — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण) दिनांक :— 25.01.2022

श्री सरकार पैरोकार

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण के कब्जे व स्वामित्व की खसरा नंबर 135 रकबा 1.99 हैक्टर, खसरा नंबर 22 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.08 हैक्टर आराजी वाके ग्राम जालीहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जो वादीगण द्वारा पूर्वखातेदार श्री गोबरीलाल पुत्र श्री मन्नालाल जाति नायक निवासी ग्राम जालीहेडा तहसील सांगोद से जरिये रजिस्टर्ड बेनामा कमांक 201903303100910 दिनांक 27.06.2019 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, तभी से उक्त आराजी वादीगण के एकमात्र मालिकाना हक व कब्जेकाश्त में बदस्तूर चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

पूर्व में उक्त आराजी प्रतिवादी कं. 1 के पक्ष में भारग्रस्त थी जिसके भार की सम्पूर्ण
...क में जमा होकर आराजी भारमुक्त हो चुकी है जिसका नोड्यूज पूर्व में ही बैंक द्वारा राजस्व
... को प्रेषित किया हुआ है जिसके बाद ही वादीगण द्वारा उक्त आराजी मूलखातेदार से क्रय
...के प्राप्त की है, जिसके संबंध में विक्रेता द्वारा भी रजिस्टर्ड बेनामें में इस आशय का आलेखन
...या है कि उक्त आराजी अन्यत्र कहीं रहन अथवा बैय फरोक्त की हुई नहीं है। मुताबिक बेनामा
...न्तकाल दर्ज करने हेतु वादीगण द्वारा पटवारी हलका से निवेदन किया तो पटवारी द्वारा नया नोड्यूज सर्टिफिकेट लाने को कहा तो वादी कं. 1 ने प्रतिवादी कं. 1 बैंक में सम्पर्क किया तो वहां के कार्मिकों द्वारा पुनः नोड्यूज जारी करने से इन्कार कर दिया और कहा कि बैंक द्वारा पूर्व में एकबार नोड्यूज जारी कर दिया है तथा जल्द ही बैंक उक्त आराजी को नीलाम करेगा तो अब दोबारा जारी नहीं किया जायेगा जबकि उक्त आराजी पर प्रतिवादी कं. 1 का की कोई रहनराशि बकाया नहीं है। वादीगण वादग्रस्त आराजी के रजिस्टर्ड आर्नर है जिन्हें वक्त खरीद से ही वादग्रस्त आराजी पर कानूनन खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं किन्तु रहन के नोट के कारण क्रयशुदा आराजी वादीगण के नाम रिकार्ड में दर्ज नहीं हो पा रही है जिसके कारण वादीगण को अपरिमित क्षति वहन करनी पड रही है। ऐसी परिस्थितियों में माननीय न्यायालय में वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादकारण गत सप्ताह प्रतिवादी कं. 1 के कार्मिकों द्वारा वादग्रस्त आराजी का नोड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने से इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ।

अतः रजिस्टर्ड बेनामा क्रमांक 201903303100910 दिनांक 27.06.2019 से वादीगण द्वारा खरीदशुदा वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के खाते दर्ज की जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावे एवं प्रतिवादी कं. 1 राजस्व रिकार्ड में अंकित रहन के त्रुटिपूर्ण नोट का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण के हक व कब्जेकाश्त की वादग्रस्त आराजी को नीलाम या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें एवं वादीगण को शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त से बेदखल नहीं करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी कं. 1 स्वयं करें, न ही अपने नौकरों, एजेन्टों व कर्मचारियों से करावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी हो चुकी है। सूचना होने के बावजूद प्रतिवादी सं.1 न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने से प्रतीत होता है कि वाद पत्र में वर्णित तथ्यों से सहमत हैं। अतः प्रतिवादी सं.1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं.2 का जवाब प्रस्तुत हुआ जिसके अनुसार वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ... जालीहेडा की आराजी खसरा नंबर 135 रकबा 1.99 हैक्टर, खसरा नंबर 22 रकबा 0.09 ... कुल किता 2 की कुल 2.08 हैक्टर भूमि दिनांक 27.06.2019 को क्रय की है तथा भूमि पर संबंधित बैंक का रहन भार दर्ज होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

...पत्र मे नामान्तरण दर्ज नही हुआ है। इसके पश्चात वादीगण अधिवक्ता ने वाद पत्र मे ...ओं को दोहराते हुए तथा जवाब सरकार के आधार पर वाद स्वीकार किए जाने की प्रार्थना

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस वादीगण अधिवक्ता ... एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पत्र, जवाब ...कार इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना ...चित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि—

माल ग्राम जालीहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 135 रकबा 1.99 हैक्टर, खसरा नंबर 22 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.08 हैक्टर आराजी का वादीगण को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड से बैंक के रहनभार का नोट हटाया जाकर उक्त आराजी वादीगण के खाते दर्ज की जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी सांगोद (कोटा)

निर्णय आज दिनांक 25.01.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:45 IST
Reason: SelfAttested

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

य बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

करण संख्या : 81/2021 तारीख दायरा 06.07.2021

उनवान

1. प्रेमनारायण श्री भैरूलाल जाति खटीक निवासी 1 सी 66, महावीर नगर, विस्तार योजना कोटा।
2. अमित कुमार चौपदार श्री भरोसीलाल जाति चौपदार निवासी प्रेमनगर, शाहाबाद रोड, बारां जिला बारां। – वादीगण

बनाम

1. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सांगोद जरिये व्यवस्थापक।
2. राजस्थान सरकार जरिये लेंड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सांगोद। – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

दिनांक :– 25.01.2022

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण)

श्री सरकार पैरोकार

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री नरेश कुमार गौतम मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम जालीहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 135 रकबा 1.99 हैक्टर, खसरा नंबर 22 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.08 हैक्टर आराजी का वादीगण को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जा... उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड से बैंक के

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

...का नोट हटाया जाकर उक्त आराजी वादीगण के खाते दर्ज की जावे। उक्तानुसार राजस्व ...में अमल दरामद किया जावे।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

निर्णय आज दिनांक 25.01.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:45 IST
Reason: SelfAttested